



सत्यमेव जयते

संख्या- / जी0एस0(शिक्षा) / A4-133 / 2018

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 22 नवम्बर, 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-1254, दिनांक 28-06-2019, पत्र संख्या-799 व 800, दिनांक 04-08-2021, पत्र संख्या-1311, दिनांक 06-10-202 तथा पत्र संख्या-2211 व 2212, दिनांक 24-01-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	शैक्षिक सत्र एवं सीट संख्या		
		2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	
गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, 214 राजपुर रोड़, देहरादून।	बी०टैक० :-			
	1. Civil Engg.	120	120	120
	2. Computer Science & Engg.	60	60	60
	3. Electrical & Electronics Engg.	30	30	30
	4. Electronics & Communication Engg.	60	30	30
	5. Mechanical Engg.	120	120	120
	एम०टैक० :-			
	1. Computer Science & Engg.	24	24	24
	2. Digital Communication	18	09	09
	3. Electrical Engg.	18	18	18
4. Manufacturing Science and Engg.	18	18	18	
5. Wireless & Mobile Comm.	18	18	18	
	एम०बी०ए०	60	60	60

(1) संस्थान की Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य संलग्न नहीं है, कार्यशील पूंजी के अद्यतन अभिलेख संलग्न नहीं हैं तथा निरीक्षण समिति के अनुसार एम०टैक० पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला व फैक्ट्री का उच्चिकरण वांछित है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में उक्त सभी मानक पूर्ण कराते हुए राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया जाये।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं की गुणवत्ता और व्यवहारिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये हैं, इसकी सूचना व संस्थानों द्वारा छात्रों की प्रायोगिक शिक्षा और इंटर्नशिप/विजिट के लिए किन समूहों, विभागों एवं कंपनियों के साथ समझौता (Tie-up or MoU) किया गया है, तत्सम्बन्धी अभिलेख एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में संस्थान की सम्बद्धता निरस्त कर दी जाएगी साथ ही अग्रेत्तर सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्रमशः.....2 /

- (3) विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा सोसाइटी/ट्रस्ट पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (5) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- (6) शासन द्वारा दिनांक 28.10.2020 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत करते समय इसका संज्ञान रखा जायेगा।
- (7) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था, विश्वविद्यालय व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या- 312/ (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A4-133/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फ़ाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस०/भदौरिया)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।